7

सं. 21/84/2013-एम एंड जी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

***

एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली: 30 मई , 2013

सेवा में

श्री प्रकाश शुक्ला,
43-54/12, द्वितीय तल
सुभाष लेन, वरूणपथ,
मानसरोवर, जयपुर
राजस्थान-302020

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 11.4.2013 के आवेदन तथा गृह मंत्रालय के दिनांक 01.05.2011 के का. ज्ञा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के सन्दर्भ में, यह उल्लेख किया जाता है कि आपके आवेदन की विषय-वस्तु इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को आबंटित विषयों के दायरे में नहीं आती है। इसलिए अधोहस्ताक्षरी के पास इस संबंध में प्रदान किए जाने हेतु कोई सूचना नहीं है।

2. इस पत्र के विरूद्ध अपील श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी, गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-।। भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष की जा सकेगी।

भवदीय,

आशुतोष

(आशुतोष जैन)
निदेशक एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रकाश शुक्ल

43–54/12, द्वितीय तल, सुभाष लेन,
वरुण पथ, मानसरोवर, जयपुर–20
मोबाईल : 98287–14244

3

स्पीड पोस्ट सेवा द्वारा प्रेषित

क्रमांक : प.05–2013(6–1)/सू.अ./031 11.04.2013

RTI Application
President's Secretariat
(RTI Section)
Dy. No. 1161/RTI/13-14
Date 15-4-13
Signature: [signature]

सेवा में,
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी;
आरटीआई अनुभाग, राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली–110 004

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 की उपधारा (1) में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु धारा 6 की उपधारा (1) में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत अनुरोध –

महोदय;

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत आपसे विनम्र अनुरोध है कि :

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत भारत संघ शासन द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति/अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु शासन कार्यविधि नियमों में प्राधिकृत मंत्रालय के विवरण ; एवम्
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत प्रेषित/प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भारत संघ शासन द्वारा या उसकी ओर से कार्यवाही संस्थित करने हेतु शासन कार्यविधि नियमों में प्राधिकृत विभाग के विवरण ; और
3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत प्रेषित/प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भारत संघ शासन द्वारा या उसकी ओर से कार्यवाही संस्थित करने हेतु शासन कार्यविधि नियमों में प्राधिकृत अधिकारी के विवरण ; तथा
4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत प्रेषित/प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संस्थित की गई कार्यवाही पर भारत संघ शासन द्वारा या उसकी ओर से प्रकरण को नस्तीबद्ध/फाईल करने का विनिश्चय/निर्णय पारित करने हेतु शासन कार्यविधि नियमों में प्राधिकृत विभाग के विवरण ; व
5. इस अनुरोध पर सम्बन्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय

की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित एवम् पठनीय छाया प्रतियां लीगल साईज (फुल स्केप) पेपर पर उपलब्ध कराने का श्रम करें।

अनुरोध शुल्क के रूप में रू. 10/– निक्षिप्त कराने के क्रम में सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 3 में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत **राष्ट्रपति सचिवालय** के लेखाधिकारी को संदेय/मांगदेय रूपये 10/– (अक्षरे रूपये दस) मूल्य का **भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या** 17F 346371 इस अनुरोध के साथ संलग्न किया गया है।

भवदीय,
[signature]
11.4.2013
(प्रकाश शुक्ल)

नोट : इस अनुरोध के क्रम में पत्र व्यवहार करते समय कृपया पत्र क्रमांक प.05–2013(6–1)/सू.अ./031 दिनांक 11.04.2013 का उल्लेख अवश्य करें।